

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. दांडिक अपील संख्या 152/1998

राजस्थान राज्य

----अपीलार्थी

विरुद्ध

नैना राम पुत्र लाची राम निवासी हरिजन बस्ती, जालोर।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी(ओं) के लिए : श्री रमेश देवासी, पीपी

प्रत्यर्थी(ओं) के लिए : श्री माधव व्यास, न्यायमित्र

माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् संदीप शाह

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

आरक्षित किया गया : 16/04/2025

उच्चारित किया गया : 23/04/2025

माननीय श्री न्यायाधिपति संदीप शाह के अनुसार:

1. दं.प्र.सं. की धारा 378 के तहत वर्तमान अपील राजस्थान राज्य द्वारा श्री रामचंद्र जाटव, विद्वान सत्र न्यायाधीश, जालोर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 7/97 में पारित आदेश दिनांकित 17.11.1997 के विरुद्ध व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थी- नैना राम को दोषमुक्त कर दिया है।
-

मामले के तथ्य:

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 23.11.1996 को लगभग पूर्वाह्न 08:40 पर, पुलिस थाना, जालोर में राजकीय अस्पताल, जालोर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पाया गया है। इस सूचना को *रोजनामचा* में क्रमांक 997 (प्रदर्श पी/20-ए) पर दर्ज किया गया और अमर सिंह, एसआई को राजकीय अस्पताल भेजा गया। घायल का परीक्षण किया गया और चोट की रिपोर्ट (प्रदर्श पी/10) तैयार की गई। अमर सिंह, एसआई (पीडब्ल्यू-2) ने चिकित्साधिकारी से इस संबंध में पूछताछ रिपोर्ट तैयार की कि क्या घायल बयान देने की स्थिति में है या नहीं। चिकित्सा अधिकारी ने सूचित किया कि घायल बयान देने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसा होने पर, श्री अमर सिंह ने घायल के भाई और पत्नी, क्रमशः नरपतराम (पीडब्ल्यू-9) और श्रीमती कमला के बयान दर्ज किए। इसके बाद, श्री अमर सिंह, एसआई घटनास्थल पर पहुँचे और सभी गवाहों की उपस्थिति में स्थल का निरीक्षण करके नक्शा मौका (प्रदर्श पी/5) और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/5ए) तैयार की। श्री अमर सिंह, एसआई ने खून से सनी रेत और सामान्य/साधारण रेत को इकट्ठा कर अभिगृहीत किया। बाद में घायल को आगे के उपचार के लिए जोधपुर भेज दिया गया। इस बीच, श्री अमर सिंह, एसआई द्वारा अन्वेषण किया गया और उन्होंने थानाधिकारी, पुलिस थाना जालोर के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/15) प्रस्तुत की। जिसके आधार पर, पुलिस थाना जालोर में भा.दं.सं. की धारा 323, 325 और 307 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 304/1996 दर्ज की गई। 27.10.1996 को उक्त रिपोर्ट में श्री रुस्तम के उस कथन को निर्दिष्ट किया गया, जिसमें उसने यह जानकारी दी कि मृतक- किशोर को सलीम द्वारा चलाई जा रही एक टैक्सी में ले जाया गया था, जिसके साथ अभियुक्त-प्रत्यर्थी- नैना राम और एक श्री दीपा राम मेघवाल भी था। इसी बीच, 27.10.1996 को लगभग पूर्वाह्न 10:15 पर, घायल- किशोर का जोधपुर अस्पताल में निधन हो गया और तत्पश्चात्, भा.दं.सं. की धारा 302 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध जोड़ा गया। मृतक- किशोर की मृत्यु की सूचना श्री जसराज (पीडब्ल्यू-7) ने दी जो मृतक का भाई था।

3. अन्वेषण अनुक्रम के दौरान, विभिन्न गवाहों के बयान लिए गए और आरोप विरचित किए जाने के बाद, विचारण न्यायालय ने विचारण को अग्रसर किया और अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों का परीक्षण किया तथा विभिन्न दस्तावेजों

को भी प्रदर्शित कराया। प्रतिरक्षा में अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने स्वयं को डीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित करवाया। अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत भी परीक्षित किया गया जिसमें उसने अपराध के किए जाने से इंकार किया और कथन किया कि उसे मिथ्या आलिप्त किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने संपूर्ण अभिलेख पर विचार करने के पश्चात, अपने दिनांक 17.11.1997 के निर्णय के माध्यम से, प्रत्यर्थी- नैना राम को भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से यह विनिर्दिष्ट रूप से अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त कर दिया कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य का था और पूरी श्रृंखला अपूर्ण थी तथा अभियोजन पक्ष की कहानी में विभिन्न कड़ियाँ गायब थीं।

अपीलार्थी-राज्य की ओर से प्रस्तुत बहस :

4. उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय को चुनौती देते हुए, विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि यद्यपि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है परन्तु अभियोजन यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहा कि सम्पूर्ण श्रृंखला अखण्ड पाई गई तथा किसी भी प्रकार की कड़ियाँ गायब नहीं थीं। यह भी दावा किया गया है कि पीडब्ल्यू-3 एवं 5 वे गवाह हैं जो अभियुक्त-प्रत्यर्थी के अभिमत का समर्थन करते हैं कि वह मृतक- किशोर के साथ अन्तिम बार देखा गया था।

5. इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यू-15 हरिराम एक महत्वपूर्ण गवाह है जिसके समक्ष अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने सम्पूर्ण घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति दी तथा इन तीनों गवाहों का परिसाक्ष्य अप्रतिवादित रहा और उनके परिसाक्ष्य में किसी भी प्रकार की असंगतियाँ नहीं थीं। यह भी दृढ़कथन किया गया कि यद्यपि पीडब्ल्यू-6 रूस्तम पक्षद्रोही हो गया, फिर भी अभियोजन पक्ष की कहानी संगत रही और गवाहों के परिसाक्ष्य से साबित हो गई। यह भी दृढ़ कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उस स्थान का निरीक्षण किया गया जहाँ हत्या हुई थी, जो अभियुक्त-प्रत्यर्थी के उस बयान के परिशीलन से स्पष्ट है जिसमें स्थान के संबंध में जानकारी दी गई है अर्थात् प्रदर्श पी/9 और उस पर किया गया निरीक्षण अर्थात् प्रदर्श पी 17, दोनों दिनांक 01.11.1996 के हैं। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने में घोर त्रुटि की है।

प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से बहस :

6. इसके विपरीत, श्री माधव व्यास, न्याय मित्र, ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि न्यायालय ने उचित रूप से ध्यान में रखा है कि:

(i) गवाह पीडब्ल्यू-15- हरिराम, जिसके समक्ष यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दी है, किसी भी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और उसका अभियुक्त के साथ कोई संबंध नहीं है और इस प्रकार उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति देने का कोई अवसर नहीं था। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण के दौरान पुलिस ने पीडब्ल्यू-15 के बयान दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत नहीं लिए गए थे। इस प्रकार उसे इतने विलम्बित प्रक्रम पर वह भी विचारण के दौरान पहली बार परीक्षित करने पर, उसकी गवाही पूरी तरह अविश्वसनीय हो जाती है। यह भी कथन किया गया है कि यद्यपि पीडब्ल्यू-15 यह कहता है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के तुरंत बाद, वह पुलिस अधिकारियों से मिला और इस तथ्य की जानकारी दी, तथापि, उसने किसी भी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं लिया है और न ही किसी पुलिस अधिकारी ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में सूचना प्राप्त होने के संबंध में पीडब्ल्यू-15 के पक्ष का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, उस होटल से जहाँ पीडब्ल्यू-15- हरिराम बैठा था और पुलिस स्टेशन तक के रास्ते पर पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति दिखाने के लिये इस संबंध में कोई *रोजनामचा* प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ii) जहाँ तक अंतिम बार देखे जाने वाले गवाहों का संबंध है, राज्य के अधिवक्ता का यह कथन है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए वृत्तांत के अनुसार, संपूर्ण जानकारी पीडब्ल्यू-6 द्वारा दी गई दर्शित थी, तथापि, उसने अभियोजन पक्ष के अभिमत का समर्थन नहीं किया है। यह भी कथन किया गया है कि अंतिम बार देखे जाने वाले गवाहों दीपाराम (पीडब्ल्यू-3) और सलीम (पीडब्ल्यू-5) ने विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी ही वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके साथ मृतक को देखा गया था। बल्कि, उनका बयान यह है कि मृतक और अभियुक्त-प्रत्यर्थी घनिष्ठ मित्र थे और दोनों नशे की स्थिति में थे एवं उन्हें ड्राइवर-सलीम अर्थात् पीडब्ल्यू-5 स्वयं द्वारा एक टैक्सी में ले जाया गया था। यह और भी कहा गया है कि पीडब्ल्यू-4 भोपाराम का बयान जो कि मृतक का बड़ा भाई था यह प्रकट करेगा कि पहले नैना राम का घर आता है और ठीक 15-20 घरों के बाद मृतक-किशोर का घर स्थित है। अतः, पीडब्ल्यू-5 - सलीम के बयान विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं, विशेष तौर पर इसलिए

क्योंकि वह स्वयं यह कहता है कि उसने मृतक किशोर और अभियुक्त-प्रत्यर्थी को जहाँ छोड़ा था, वह छगन गैस वाला का घर था। हालाँकि, छगन गैस वाला को परीक्षित नहीं किया गया है न ही किसी गवाह को यह दर्शाने के लिए परीक्षित किया गया है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने क्षति कारित की। इस प्रकार प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि यद्यपि अंतिम बार देखे जाने वाले गवाह विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं, तथापि यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने अभियुक्त को अंतिम बार देखा था, तब भी चूंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, इसलिए अंतिम बार देखे जाने के आधार पर संपूर्ण श्रृंखला पूर्ण नहीं होती है और केवल अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती थी। विद्वान अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि अंतिम बार देखे जाने वाला गवाह, 23.10.1996 को श्री अमर सिंह, एसआई द्वारा सूचना प्राप्त होने के पश्चात चार दिनों तक चुप रहा, जो अभियोजन पक्ष द्वारा बनाई जाने वाली कहानी के संबंध में भी संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उनके लिए इतने लंबे समय तक चुप रहने और मृतक की मृत्यु का इंतजार करने का कोई अवसर नहीं था।

(iii) प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम तो दोनों गवाह, जिनकी उपस्थिति में प्रदर्श पी-17 के माध्यम से सूचना दी गई थी, उनका परीक्षण नहीं किया गया है और केवल एक गवाह का परीक्षण किया गया है, जिसका परिसाक्ष्य भी विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। यह भी दृढ़ कथन किया गया है कि प्रदर्श पी-1 और पीडब्ल्यू-2 अमर सिंह के बयानों के परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि पुलिस अधिकारी घटनास्थल से अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने 27.10.1996 को ही घटनास्थल का निरीक्षण किया था और घटनास्थल निरीक्षण फर्द तैयार की थी, जबकि प्रत्यर्थी-अपीलार्थी द्वारा दी गई कथित सूचना और उसके आधार पर निरीक्षण, दोनों 01.11.1996 को किए गए थे। अतः, अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया गया घटनास्थल का निरीक्षण किसी भी प्रकार से कोई परिणामकारक नहीं है। यह भी दृढ़ कथन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई नक्शा रेखा-चित्र तैयार नहीं किया गया है, जिसे स्वयं अन्वेषण अधिकारी - गोपाल रामावत (पीडब्ल्यू-16) ने स्वीकार किया है, जो स्वयं में संदेह की एक छाया डालती है और अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निरीक्षण फर्द तैयार करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को खंडित कर देता है।

(iv) यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं की गई है और इसके अतिरिक्त, अभिकथित अपराध में प्रयुक्त हथियार भी बरामद नहीं किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह अभियोजन पक्ष का मामला भी नहीं है कि अभियुक्त द्वारा पहने गए खून से सने कोई भी कपड़े बरामद किए गए और एफएसएल परीक्षण के लिए भेजे गए। अतः, कोई भी संपुष्टि बिल्कुल नहीं है और अभियुक्त तथा मृतक के बीच ऐसा कोई कड़ी नहीं है जो मृतक की मृत्यु कारित करने का संबंध स्थापित कर सके।

(v) यहां हेतु का अभाव है, क्योंकि अभियोजन पक्ष प्रश्नगत अपराध को कारित करने की आपराधिक मनःस्थिति को साबित करने में विफल रहा है।

(vi) अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अभियोजन पक्ष की कहानी संदेहास्पद हो, तो विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को न तो गलत दिशा में मोड़ा है और न ही उसका गलत अर्थ निकाला है, बल्कि अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया है। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित निर्णय न्यायोचित है और दायर की गई अपील खारिज किए जाने योग्य है।

विश्लेषण एवं तर्क

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के पश्चात और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, हम वर्तमान अपील में विचार के लिए छह बिंदुओं पर विचार करते हैं:

(i) **अंतिम बार देखा जाना** - जहाँ तक "अंतिम बार देखे जाने" के परिसाक्ष्य का संबंध है, पीडब्ल्यू-3 दीपा राम और पीडब्ल्यू-5 सलीम के बयानों में, यह कहा गया है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी, नैना राम, एक टैक्सी में आया था। शराब की दुकान के पास पहुँचने के बाद, उसने मृतक, किशोर को, शराब की दुकान के पास अर्ध-बेहोश अवस्था में पड़े हुए देखा। उसके बाद, नरपत राम ने किशोर को उठाया और टैक्सी ड्राइवर, सलीम से (उन्हें उनके घर ले जाने के लिए) कहा। दीपा राम ने टैक्सी ड्राइवर से उसे सूरज पोल के पास छोड़ने का भी अनुरोध किया। सूरज पोल पहुँचने के बाद, दीपा राम टैक्सी से उतर गया और अगले दिन, दीपा राम ने सुना कि किशोर हरिजन मारपीट किए जाने के बाद अर्ध-बेहोश हो गया था। यह स्पष्ट है कि, जहाँ तक दीपा राम के बयान का संबंध है, उसने केवल अभियुक्त को मृतक के साथ सलीम द्वारा चलाई जा रही टैक्सी को साझा करते हुए देखा और उससे बढ़कर कुछ नहीं

देखा। दूसरी ओर, पीडब्ल्यू-5 सलीम का कथन है कि दीपा राम ने, उतरते समय, यह उल्लेख किया कि अभियुक्त, नैना राम, ने उसे और किशोर को कसुम का बेरा पर छोड़ने के लिए कहा था। वह आगे यह भी कथन करता है कि उसने उन्हें छगन गैस वाला के घर के पास छोड़ दिया। अतः, जहाँ तक पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-5 के बयानों का संबंध है, उनमें बिल्कुल भी कोई असंगति नहीं है। तथापि, ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जो अभियुक्त को अपराध से सीधे जोड़ता हो, सिवाय अंतिम बार देखे जाने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य के। संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ है, जो अभियुक्त की अंतर्वलितता को अवधारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(ii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत घटनास्थल के संबंध में मृतक द्वारा दी गई जानकारी: उस स्थल के संबंध में मृतक द्वारा जानकारी प्रदान की गई है जहाँ हत्या हुई थी, साथ ही किया गया स्थल निरीक्षण भी है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी को 31.10.1996 को गिरफ्तार किया गया था, और उसके पश्चात, 01.11.1996 को, प्रदर्श पी-17 के माध्यम से, अभियुक्त ने उस स्थान के संबंध में जानकारी उजागर की जहाँ उसने अभिकथित रूप से मृतक- किशोर की हत्या की थी। इस जानकारी के आधार पर, 01.11.1996 को स्थल का निरीक्षण किया गया, जैसा कि प्रदर्श पी-9 में दर्ज है। अभियोजन पक्ष ने अपराध किए जाने के स्थान के बारे में अभियुक्त-प्रत्यर्थी के ज्ञान के आधार पर उसे अपराध से जोड़ने का प्रयास किया है। इस न्यायालय ने यह अवलोकन किया है कि, प्रथम, जैसा कि अन्वेषण अधिकारी गोपाल रामावत द्वारा स्वीकार किया गया है, कोई नक्शामौका तैयार नहीं किया गया था, जो अभियोजन पक्ष के मामले को और अधिक कमजोर करता है। द्वितीय, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि स्थल पुलिस अधिकारियों को पहले से ही ज्ञात था और उसका निरीक्षण किया जा चुका था और प्रदर्श पी-1 के अनुसार, अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले ही, 27.10.1996 को ही स्थल निरीक्षण फर्द तैयार कर ली गई थी। 27.10.1996 को तैयार की गई फर्द, साथ ही उसी तारीख को दर्ज की गई रिपोर्ट के परिशीलन से उपर्युक्त तथ्य को और अधिक स्पष्ट किया जाता है, जिसे पीडब्ल्यू-2 अमर सिंह अपनी मुख्य-परीक्षा और जिरह के दौरान इंकार करने की स्थिति में नहीं था। अतः, उस स्थल के बारे में अभियुक्त के ज्ञान के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा साबित करने का प्रयास किया गया संबंध विश्वास उत्पन्न नहीं करता है और उसमें साक्ष्यिक मूल्य का अभाव है।

(iii) **न्यायिकेत्तर संस्वीकृति** - अभियोजन पक्ष अभियुक्त द्वारा पीडब्ल्यू-15 हरिराम के समक्ष दी गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर अत्यधिक भरोसा करता है, जिसमें हरिराम ने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त को जानता है क्योंकि अभियुक्त-प्रत्यर्थी टोल टैक्स पर काम करता था और वह उसके सामने आया तथा यह जानकारी दी कि उसने किशोर के साथ मारपीट की थी एवं उसे कसुम बेरा के पास छोड़ दिया था, तथा बाद में उस जगह पर ताला लगा दिया था। उसने आगे यह संस्वीकार किया कि उसने पत्थरों से वार करके हिम्मताराम की हत्या कर दी थी और शव को बाईपास रोड के पास फेंक दिया था। इसके पश्चात उसने अपने मामले के लिए एक अच्छे अधिवक्ता का सुझाव देने का अनुरोध किया। हरिराम ने उसे आहोर चुंगी चेक पोस्ट के पास एक होटल में इंतजार करने की सलाह दी, जबकि वह एक अधिवक्ता को लेने गया था। तथापि, अधिवक्ता के पास जाने के बजाय, हरिराम पुलिस स्टेशन की ओर गया। रास्ते में, वह कुछ पुलिस अधिकारियों से मिला और उन्हें अभियुक्त द्वारा दी गई संस्वीकृति के बारे में जानकारी दी।

8. जहाँ तक हरिराम द्वारा दिए गए बयानों का संबंध है, वह विश्वास उत्पन्न नहीं करता है। प्रथम, हरिराम और अभियुक्त-प्रत्यर्थी के मध्य ऐसा कोई सामीप्य या संबंध स्थापित नहीं है, जो अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिए जाने को न्यायोचित ठहरा सके। इसके अलावा, उस बात को छोड़कर, यदि बहस के लिए सामीप्य को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी हरिराम का वृत्तांत विश्वास उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि उसने कहा कि वह तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा और रास्ते में, वह पुलिस अधिकारियों से मिला, जिन्हें उसने अभियुक्त की संस्वीकृति को प्रकट किया। तथापि, हरिराम उन पुलिस अधिकारियों के नाम बताने में विफल रहा है। इसके अलावा, उसके वृत्तांत की पुष्टि अन्वेषण अधिकारी, गोपाल रामावत (पीडब्ल्यू-17) द्वारा नहीं की गई है और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी का नाम बताया गया है या उसकी परीक्षा की गई है, जिसके समक्ष ऐसी जानकारी अभिकथित रूप से प्रकट की गई थी। यह लोप अभिकथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर करती है।

9. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए अनुसंधान के दौरान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा हरिराम का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था, जो कि अपने आप में, हरिराम के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है और इस बात पर सवाल खड़े करता है कि उसे घटना के नौ महीने

बाद पहली बार, और केवल तभी क्यों सामने लाया गया, जब विचारण के दौरान विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू-15 के रूप में उसकी परीक्षा की गई थी। अभियोजन पक्ष ने केवल हरिराम के उस बयान को अभिलेख पर रखा है, जो वर्तमान मामले में नहीं बल्कि किसी अन्य मामले में 24.10.1996 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। तथापि, इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है कि वर्तमान मामले में उसका बयान पहले दर्ज क्यों नहीं किया गया था और न ही 25.10.1996 के पश्चात इस संबंध में कोई अन्वेषण किया गया है। दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज करने में विफलता अभिकथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है। यह लोप अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमजोर करती है और जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया है, यह बिल्कुल भी विश्वास उत्पन्न नहीं करती है।

(iv) कोई बरागदमी एवं कोई हेतु नहीं - वर्तमान मामले में, अभियुक्त-प्रत्यर्थी को अपराध से जोड़ने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में प्रयुक्त हथियार की कोई बरामदगी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त द्वारा पहने गए खून से सने कपड़ों की कोई बरामदगी नहीं की गई है और न ही उन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण गायब कड़ी है। इसके अलावा, यह स्पष्ट करने के लिए कोई हेतु स्थापित नहीं किया गया है कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या क्यों की होगी। आपराधिक मनःस्थिति (हत्या करने का आशय या ज्ञान) की अनुपस्थिति अप्रमाणित बनी हुई है, क्योंकि अभियोजन पक्ष इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है। किसी भी गवाह ने मृतक की हत्या के अभियुक्त के कृत्य के लिए किसी भी हेतु या आपराधिक मनःस्थिति के संबंध में अभिसाक्ष्य नहीं दिया है।

10. इस मामले में हेतु पर **नंदू सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जो 2022 एससीसी आनलाईन एससी 1454** में रिपोर्ट किए गए मामले में हेतु पर परिचर्चा की गई थी, जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया :

"12. ठोस साक्ष्य पर आधारित मामले में, हेतु का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हेतु ही मामले की वह महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक हो और इसके अभाव में अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया

जाना चाहिए। लेकिन, साथ ही, हेतु की पूर्ण अनुपस्थिति एक अलग रूप ले लेती है और ऐसा अभाव निश्चित रूप से अभियुक्त के पक्ष रहता है।

13. अनवर अली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य¹ में, इस न्यायालय ने 1 (2020) 10 एससीसी 166 विधिक स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया:- 24. अब, जहाँ तक अभियुक्त की ओर से इस तर्क का संबंध है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष हेतु को स्थापित और साबित करने में विफल रहा है और इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है, यह सच है कि हेतु साबित करने का अभाव अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी सच है और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि हेतु साबित हो जाता है तो वह परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला में एक कड़ी प्रदान करता है, लेकिन इसका अभाव अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है। हालाँकि, साथ ही, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बाबू 3 में देखा गया है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु का अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में विचारणीय होता है। पैरा 25 और 26 में, यह इस प्रकार अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है: (बाबू मामला 3, एससीसी पीपी. 200-02)

"25. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशनपाल 4 में, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में हेतु के महत्व का परीक्षण किया और यह अवलोकन किया: (एससीसी पीपी. 87-88, पैरा 38-39)

'38. ... हेतु एक ऐसी बात है जो मुख्य रूप से स्वयं अभियुक्त को ज्ञात होती है और अभियोजन पक्ष के लिए यह स्पष्ट करना संभव नहीं होता है कि वास्तव में किस बात ने उसे विशेष अपराध करने के लिए प्रेरित या उत्तेजित किया था।

39. हेतु को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है जो साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए सुसंगत है, लेकिन यदि साक्ष्य स्पष्ट और असंदिग्ध है तथा परिस्थितियाँ अभियुक्त के अपराध को साबित करती हैं, तो हेतु बहुत मजबूत न होने पर भी वह साक्ष्य कमजोर नहीं होता है। यह भी स्थापित विधि है कि ऐसे मामले में हेतु अपना सारा महत्व खो देता है जहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होता है, क्योंकि भले ही अभियुक्तगण के पास किसी विशेष अपराध को करने के लिए बहुत

मजबूत हेतु हो, फिर भी उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता यदि प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। इसी प्रकार, भले ही कोई स्पष्ट हेतु न हो, लेकिन यदि प्रत्यक्षदर्शियों का साक्ष्य स्पष्ट और विश्वसनीय है, तो हेतु का अभाव या अपर्याप्तता दोषसिद्धि के रास्ते में बाधक नहीं बन सकती है।

26. इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु का अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में वजन डालता है। (पन्नयार बनाम टी.एन. 5 राज्य)"

11. इस प्रकार, यह एक स्पष्ट मामला है जहाँ, अपराध सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त और अपराध के बीच एक पर्याप्त कड़ी स्थापित करनी होगी। हेतु का अभाव स्पष्ट रूप से अभियुक्त के पक्ष में वजन डालता है। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया गया है कि अपराध करने के लिए अभियुक्त पर कोई हेतु आरोपित नहीं किया गया है, और यह तथ्य अभियुक्त-प्रत्यर्थी के मामले का पुरजोर समर्थन करता है। यह भी भली-भांति स्थापित है कि हेतु के अभाव में, मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकते हैं। जब तक अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपना मामला साबित नहीं कर देता, तब तक केवल संदेह या असंपोषी संस्वीकृति के आधार पर किसी भी दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(v) परिस्थितिजन्य साक्ष्य - जहां तक अभियोजन पक्ष के मामले का संबंध है, यह स्वीकार्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे मामलों में, अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने के लिए, परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कड़ी गायब नहीं होनी चाहिए।

12. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र, (1984) 4 एससीसी 116** में रिपोर्ट किए मामले में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है :

"153. इस निर्णय के सूक्ष्म विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह से सिद्ध हुआ तब कहा जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए:

(1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने उपदर्शित किया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य या चाहिए' थीं, न कि 'हो सकती हैं'। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए' या 'अवश्य किया जाना चाहिए' के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक विधिक विभेद भी है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी सहरावराव बोबाडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभिनिर्धारित किया गया था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त को अवश्य ही दोषी होना चाहिए, न कि केवल हो सकता है, और 'हो सकता है' तथा 'अवश्य होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी होती है जो अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर व्याख्या योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है

(3) परिस्थितियाँ निश्चयक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, सिवाए उसके जिसे साबित किया जाना है।

(5) साक्ष्य की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत किसी भी निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार यह कृत्य अवश्य ही अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

13. उपर्युक्त उल्लिखित प्रतिपादना को हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जाबिर एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, 2023 एससीसी आनलाईन एससी32** के मामले में भी दोहराया गया है।

14. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परिस्थितियों का पूरा समूह केवल अभियुक्त की दोषिता के एकमात्र संभावित निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए और तथ्य प्रकृति में संगत और निश्चयक होने चाहिए। उन्हें उस एक परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक अन्य संभव परिकल्पना को भी अपवर्जित करना चाहिए जो अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करती है। सबसे

महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह ऐसे निष्कर्ष पर ले जाए जो अभियुक्त की दोषिता के संगत हो और यह दर्शाए कि, सभी मानवीय संभाव्यताओं के अनुसार, यह कृत्य अवश्य ही अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

15. उपर्युक्त परिचर्चा के दृष्टिगत, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों की श्रृंखला को पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया गया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय संदेह का लाभ देने और अभियुक्त को दोषमुक्त करने में न्यायोचित था।

(vi) दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों पर विचार : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, **एच.डी. सुंदरा व अन्य बनाम कर्नाटका राज्य, (2023) 9 एससीसी 581** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांतों पर विचार करते हुए, विधिक स्थिति को निम्नलिखित रूप में सारांशित किया है:

8. इस अपील में, हमसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, दं.प्र.सं.) की धारा 378 के तहत दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय की वैधता और विधिमान्यता पर विचार करने की अपेक्षा की गई है। दं.प्र.सं. की धारा 378 के तहत दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग को विनियमित करने वाले सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में सारांशित किया जा सकता है -

8.1 अभियुक्त की दोषमुक्ति निर्दोषिता की उपधारणा को और अधिक मजबूत करती है।

8.2 दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय अपीलीय न्यायालय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने का हकदार है।

8.3 अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का निर्णय करते समय, साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात, इस बात पर विचार करने के लिए अपेक्षित है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक ऐसा संभावित दृष्टिकोण है जिसे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनाया जा सकता था;

8.4 यदि अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर दोषमुक्ति के आदेश को पलट नहीं सकता है कि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव था; और

8.5 अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभिलेख पर की साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किया जा सकने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो गया था और इसके अलावा कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था।"

16. उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय से मार्गदर्शन लेते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि दोषमुक्ति का निर्णय किसी विकृति से ग्रसित है या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के गलत पठन पर आधारित है। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ कोई अन्य युक्तियुक्त दृष्टिकोण संभव न हो। वास्तव में, वर्तमान मामले में, अभियुक्त की दोषिता को इंगित करने वाला दृष्टिकोण कमजोर और असंभाव्य है, जबकि अभियुक्त के पक्ष में दूसरा वैकल्पिक दृष्टिकोण कहीं अधिक मजबूत और अधिक संभाव्य है।

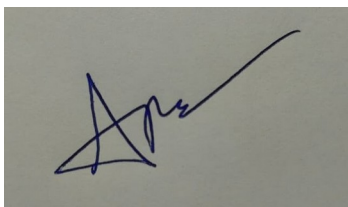
17. इस प्रकार, संपूर्ण अभिलेख पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 17.11.1997 को पारित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है। तदनुसार, दोषमुक्ति के आदेश को बरकरार रखा जाता है, और अपील खारिज की जाती है।

(संदीप शाह), जे

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

85-मोहित/-

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

आदित्यप्रताप सिंह निरवान